RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 04/2025

प्रार्थी– **बनाम** **अप्रार्थी–**

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजपूत, निवासी जसोल, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं बावजुद सूचना अनुपस्थित ।

आदेश

दिनांक : 26.03.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 05.12.2024 को श्री रामावतार पुनिया, रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के ग्राम जसोल में बाड़ा पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री जितेन्द्रसिंह व सूर्यप्रताप उपस्थित मिले। मौके पर कुल सिलेण्डर 435 जब्त किये गए, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र. सं.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर की संख्या	भरे सिलेण्डर की संख्या	कुल सिलेण्डर
1.	HP	14.2 किग्रा	97	149	246
2.	bharat	14.2 किग्रा	3		3
3.	indane	14.2 किग्रा	2		2
4.	hp	19 किग्रा		106	106
5.	hp	19 किग्रा	1		1
6.	hp	5 किग्रा	23	15	38
7.	hp	2 किग्रा	5	34	39
योग			131	304	435

2. प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी जितेन्द्रसिंह ने बयान में बताया कि माँ भटियाणी एचपी गैस एजेन्सी जसोल में है तथा PESO (Petroleum & Explosives Sfety Organisation) का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें गैस एजेन्सी का गोदाम खसरा नंबर 450 असाडा रोड़ जसोल पर स्थित है, जो जब्त

जिला कलक्टर
बालोतरा

किए गए सिलेण्डर के स्थान जसोल व गैस एजेंसी से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। उक्त जब्त किये गैस सिलेण्डर भण्डारण का स्थान जसोल ग्राम के आबादी क्षेत्र में था, इसके आस पास बड़ी आबादी है तथा यहां विस्फोट होने से बड़ी जान माल का नुकसान हो सकता था। उक्त सिलेण्डर जब्त करने पर अप्रार्थी ने कहा कि एक बार छोड़ दो भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। मौका स्थल पर भण्डारण से संबंधित विस्पोटक लाइसेन्स एवं भण्डारण से संबंधित दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स भटियाणीसा एचपी गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री जितेन्द्रसिंह को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का मौका स्थल पर भण्डारण से संबंधित विस्पोटक लाइसेन्स एवं भण्डारण से संबंधित दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाने पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया।
4. अप्रार्थी स्वयं बावजुद सूचना दौराने बहस अनुपस्थित रहे।

5. हमने सरकारी पैरोकार की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के बाड़े पर घरेलु गैस सिलेण्डर का मौका स्थल पर भण्डारण से संबंधित विस्पोटक लाइसेन्स एवं भण्डारण से संबंधित दस्तावेज नहीं होने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स भटियाणीसा एचपी गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री जितेन्द्रसिंह को सुपुर्दगी पर दिये गये है। प्रार्थी के कथनानुसार एव पत्रावली के संलग्न दस्तावेज अवलोकन से मॉ भटियाणी एचपी गैस एजेन्सी ग्राम जसोल में है तथा PESO (Petroleum & Explosives Sfety Organisation) का प्राधिकार पत्र में अंकित गैस एजेन्सी का गोदाम खसरा नंबर 450 असाडा रोड़ जसोल पर स्थित होना पाया गया, जो जब्त किए गए सिलेण्डर के स्थान जसोल व गैस एजेंसी से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित होना बताया गया। अप्रार्थी द्वारा मौका स्थल पर भण्डारण से संबंधित विस्पोटक लाइसेन्स एवं भण्डारण से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन मे पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें।

7. आदेश आज दिनांक 26.03.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा